न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली)राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 139/2019

GCMS NO. : 2019/00207

–: प्रार्थीगण :–

1. जयराम पुत्र डावरराम
2. राजूराम पुत्र जयराम
3. हेमाराम पुत्र जयराम
जातियान– सीरवी निवासी उदलियावास हाल निवासी लौटोती तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. बुद्धाराम पुत्र मेहताब राम
2. पांचाराम पुत्र मेहताब राम जातियान गुर्जर निवासी लौटोती तहसील जैतारण।
3. जयराम पुत्र गंगाराम जाति जाट
4. मांगीलाल पुत्र स्वरुप निवासी लौटोती
5. ओमप्रकाश पुत्र मल्लाराम जाति सीरवी निवासी बिरोल तहसील जैतारण।
6. सिणगारी देवी पत्नी विरमराम जाति सीरवी निवासी लौटोती तहसील जैतारण।
7. डावरराम पुत्र पेमाराम
8. उरजाराम पुत्र पेमाराम
9. कानाराम पुत्र अमरराम
10. सुखी देवी पत्नी कानाराम
11. सुन्दर देवी पत्नी बाबूलाल जातियान सीरवी निवासी बैड़कलां,तहसील जैतारण।
12. कल्याणराम पुत्र पन्नालाल
13. संदीप पुत्र तेजाराम
14. चन्द्राराम पुत्र घीसाराम
15. बदामी पत्नी चन्द्राराम जातियान कुम्हार निवासी लौटोती।
16. बजरंग दास पुत्र घीसूदास
17. पुष्पा देवी पत्नी बजरंग दास जातियान साद,निवासी खारिया मीठापुर,तहसील बिलाड़ा।
18. नित्या चोयल पत्नी दीपचंद जाति सीरवी निवासी उदलियावास तहसील जैतारण।
19. उर्जाराम पुत्र जोगाराम जाति सीरवी निवासी खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा।
20. मांगीलाल पुत्र भभूतराम
21. चन्द्राराम पुत्र भभूतराम
22. बाबूलाल पुत्र भभूतराम जातियान सीरवी निवासी गरनिया तहसील जैतारण।
23. तुलछाराम पुत्र मांगीलाल निवासी गरनिया तहसील जैतारण।
24. गोपाराम पुत्र भभूतराम
25. कानाराम पुत्र भभूतराम
26. ढगलाराम पुत्र स्वरूपराम जातियान सीरवी निवासी गरनिया।
27. धूली देवी पत्नी चेनाराम जाति सीरवी निवासी लौटोती तहसील जैतारण।
28. [illegible]राम पुत्र अमराराम जाति सीरवी नि[illegible] बैड़कलां तहसील रायपुर
29. [illegible] पुत्र महेशचन्द्र
30. [illegible]लदार जैतारण।
31. [illegible]री हल्का लौटोती [illegible] जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.23/09/2019

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण, जिला–पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:44:18 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः- 1. श्री महेन्द्र कुमार गुंरा, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री देवाराम कटारिया, चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 22/03/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा लौटोती भू.अ.नि. क्षैत्र निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल तहसील जैतारण में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 से 29 की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 50 खसरा नम्बर 476/1 रकबा 23-06 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खाता संख्या 788 खसरा नम्बर 476 रकबा 281-14 बीघा किस्म बारानी अव्वल स्थित है। जिस भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करते है। जिसकी नकल जमाबन्दी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी जयराम ने वर्ष 1994-95 में करीब 22 वर्ष पूर्व खसरा नम्बर 476 व 476/1 की कृषि भूमि में से 30 बीघा भूमि जरिए पंजीकृत बेचान के खरीद की थी व कब्जा प्राप्त किया था। तब से गत 22 वर्षो से उक्त कृषि भूमि को प्रार्थीगण जोत रहे है। प्रार्थीगण की 30 बीघा भूमि में उनका रहवासीय मकान मवेशियो का बाड़ा व छपरा कुआं आदि बने हुए है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खसरा नम्बर 476 व 476/1 की कुल भूमि राजस्व नक्शा ट्रेस के अलग से दर्शाई गई है। नकल ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कुल 30 बीघा कृषि भूमि के कुल भूमि के दक्षिण में पहले धर्माराम, मुन्नाराम व भीयाराम पुत्र लाबूराम की कृषि भूमि व अब अप्रार्थी बजरंग दास व पुष्पा देवी की भूमि के चिपते ही दक्षिण दिशा में स्थित है। खसरा नम्बर 476 व 476/1 की कुल भूमि के उत्तर में ग्राम लौटोती से ग्राम झाक की और जाने वाला रास्ता लौटोती गांव की स्थापना के समय से चल रहा है। इसी रास्ते से उत्तर से दक्षिण की ओर सरकारी पइत भूमि में खसरा संख्या 476 व 476/1 की व प्रार्थीगण की कृषि भूमि तक जाने का एक आम रास्ता निकलकर जाता है। जो वक्त सेटलमेंट से आज दिन तक मौके पर मौजूद है तथा प्रार्थीगण अपने खेत में व कृषि भूमि में आने जाने व मवेशी व कृषि कार्य हेतु साधन लाने व ले जाने जमीन में काश्त के लिए हल बैल मवेशी, मजदूर लाने ले जाने ट्रेक्टर व ट्रोली व अन्य उपकरण लाने ले जाने के लिए उक्त रास्ते का प्रार्थीगण लगातार उपयोग उपभोग कर रहे है। यह रास्ता जो पइत सरकारी भूमि पर बना है व 20 फीट चौड़ा तथा 2400 फीट लम्बा है। मौके की स्थिति का व वादग्रस्त रास्ते का नजरी नक्शा बनाकर प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें रास्ते को मार्क ए बी सी डी ई व एफ लाल रंग से दर्शाया गया है। नजरी नक्शा को प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जावे। संलग्न नजरी नक्शा में बताया रास्ता प्रार्थीगण के खेत कृषि भूमि में आने जाने का सबसे नजदीक व सुलभ एक मात्र रास्ता आया हुआ है। इस रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी के लिए आने जाने का एक मात्र रास्ता नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार ही है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण के खेत में जाने का एक मात्र रास्ता को बंद करने पर आमादा हो गये तथा जब तक प्रार्थीगण के साथ झगड़ा टन्टा करने लगे और अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को यह

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:44:18 IST
Reason: SelfAttested

ज्ञात होने पर कि विवादित रास्ता का राजस्व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज नही है तथा रास्ता नक्शा में तरमीम भी नही है इसी बदनियति के चलते अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने नजरी नक्शे में दर्शित मार्क ए से बी को लोहे की फाटक लगाकर तथा मार्क ई से एफ रास्ते को कांटे, तारबंदी व पक्की दीवार बनाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी जमीन में जाना भी बंद कर दिया है तथा उनके सभी कृषि उपकरण भी बेकार पड़े है व प्रार्थीगण को भारी तंग परेशानी हो रही है। तथा सरकारी पड़त भूमि में बने रास्ते को झगड़ा टन्टा करके जबरन अवरोध लगाकर बंद करने का व प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने से रोकने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। लिहाजा यह प्रार्थना पत्र रास्ते को पुनः खुलवाने व उपयोग उपभोग लगातार जारी कराने हेतू विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश किया जा रहा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 4, 5, 14, 20, 25, 26 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थीण्ण संख्या 25, 26 जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने से जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 4, 14, 20, ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जो सा0मि0 हैं। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना–पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित तमाम तथ्य गलत व अस्वीकार है। क्योकि उक्त भूमि तरमीम नही हो रखी है व प्रार्थीगण द्वारा अधिक जमीन पर कब्जा कर रखा है। व बंट्वाड़ा नही हो रखा न ही पत्थरगढी हो रखी है। प्रार्थीगण द्वारा जबरन अप्रार्थी की जमीन पर कब्जा कर रखा है। प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा गलत पेश किया है जो अस्वीकार है। उक्त भूमि के पड़ौस गलत दर्शाये गये है। क्योकि मौके पर किसी प्रकार का कोई मार्क ए, बी, सी, डी, ई, एफ रास्ता नही है। ना ही राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज है। वहां पर पक्की दीवार व दुसरी अप्रार्थीगण की खातेदारी है एवं पक्के निर्माण है। क्योकि उक्त खसरान् का उचित रास्ता उत्तरी दिशा की तरफ आया हुआ है, जहां से प्रार्थीगण का आना जाना है। तथा खसरा नम्बर 476 के चिपते ही लौटोती से झाक जाने वाला आम रास्ता आया हुआ है व राजस्व रिकॉर्ड में भी आम रास्ता दर्ज है। वहां से यदि प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाता है तो कोई ऐतराज नही है, केवल अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए व उनका पक्का निर्माण तोड़ने के उद्देश्य से गलत व काल्पनिक रास्ता बताकर गलत नजरी नक्शा पेश किया है। प्रार्थीगण का इस जगह से कोई आना जाना नही है और न ही आम रास्ता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल ने अपनी जांच फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 28.02.2022 मय नजरी नक्शा पेश किया जो सा0मि0 है। भु.अ.नि. आ.कालू द्वारा प्रस्तुत मौका एवं तथ्यात्मक मय मौका फर्द जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा खेत में जाने हेतु वर्तमान में रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा बताया गया रास्ता [illegible] डी मौके पर बंद है। तथा भू अभिलेख में दर्ज नही है। जिसकी लम्बाई 440 मीटर व चौडाई 4 मीटर तथा कुल रकबा 0.176 हैक्टर बनता है जो नजरी नक्शे में डॉटेड लाईन से दर्शाया गया है। नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:44:18 IST
Reason: SelfAttested

गया रास्ता ए से बी जो कि अभिलिखित रास्ता खसरा संख्या 543 उदलियावास लौटोती से खसरा संख्या 472 में से निकलकर प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 476/1 की सीमा तक कुल लम्बाई 154 मीटर व चौडाई 4 मीटर तथा कुल रकबा 0.0616 हैक्टर बनता है। खसरा संख्या 476 व 476/1 प्रार्थीगण की शामलाती भूमि है तथा खसरा संख्या 476 की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता खसरा संख्या 192 पर स्थित है। मौके पर उक्त रास्ता अन्य राजकीय भूमि में से चल रहा है। जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि से 560 मीटर दूरी पर स्थित है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर सुनी गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर मौखिक बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया।

1. प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा लौटोती भू.अ.नि. क्षैत्र निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल तहसील जैतारण में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 3 से 29 की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 50 खसरा नम्बर 476/1 रकबा 23-06 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खाता संख्या 788 खसरा नम्बर 476 रकबा 281-14 बीघा किस्म बारानी अव्वल स्थित है। जिस भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से की भूमि पर काश्त करते है। जिसकी नकल जमाबन्दी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थी जयराम ने वर्ष 1994-95 में करीब 22 वर्ष पूर्व खसरा नम्बर 476 व 476/1 की कृषि भूमि में से 30 बीघा भूमि जरिए पंजीकृत बेचान के खरीद की थी व कब्जा प्राप्त किया था। तब से गत 22 वर्षो से उक्त कृषि भूमि को प्रार्थीगण जोत रहे है। प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंच के लिए पहुंच मार्ग का अभाव है। प्रार्थीगण की भूमि के चिपते ही नजरी नक्शा में वर्णित 20 फीट चौड़ा व 2400 फीट लम्बा नजरी नक्शे अनुसार प्रस्तावित रास्ते को भू अभिलेख में दर्ज करवाने का आदेश फरमावे।

2. अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा संख्या 476 व 476/1 का बंटवाड़ा नही हो रखा है तथा न ही प्रार्थीगण द्वारा नजरी नक्शे में प्रस्तावित रास्ता मौके पर चल रहा है। और न ही ऐसा कोई रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज है। खसरा संख्या 476 से लगता हुआ राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

3.प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन अनुसार खसरा संख्या 476 व 476/1 की भूमि अविभाजित शामलाती भूमि है जिसमें प्रार्थीगण भी सहखातेदार है तथा खसरा संख्या 476 की भूमि अभिलिखित गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 192 से लगती है। इस प्रकार प्रार्थीगण की आराजी के लिए अभिलिखित रास्ता उपलब्ध है। तथा जोत तक पहुंच के लिए पहुंच मार्ग उपलब्ध होने एवं रास्ते की मांग आत्यंतिक आवश्यकता नही होने के कारण धारा 251क के अन्तर्गत प्रार्थीगण को किसी प्रकार का पहुंच मार्ग दिया जाना

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:44:18 IST
Reason: SelfAttested

वैधिसंगत एवं उचित नही होगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भली भांति साबित नही होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नही होनें तथा सारहीन होनें से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 22/03/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला–पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:44:18 IST
Reason: SelfAttested